अनुदान संख्या 16 – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 16 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	173735,00,00		176983,12,00	106693,66,91	-70289,45,09
पूरक	Supplementary	3248,12,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					70284,28,22
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	50424,10,00		51424,13,00	12853,22,72	- 38570,90,28
पूरक	Supplementary	1000,03,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					38570,56,34

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹7028945.09 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹324812.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹7028945.09 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹324812.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 40 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	17363247.00			
पू.	S.	324812.00	10663606.21	10663177.48	- 428.73
पु.	R.	-7024452.79			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	3900.00			
			..	..	..
पु.	R.	- 3900.00			

(I) ₹3900.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3100.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹3900.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹3100.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "भंडारण और भांडागार – अन्य व्यय – राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण" – ₹2500.00 लाख; और

(A) "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in NE Region by State Governments" - ₹2500.00 lakhs; and

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पीडीएस संचालन की सुदृढ़ता" – ₹600.00 लाख।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Strengthening of PDS Operation" - ₹600.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य सब्सिडी – एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के लेनदेन के लिए भारतीय

(II) Under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies - Subsidy Payable to FCI and others on food

खाद्य निगम और अन्य को देय सब्सिडी" के अंतर्गत ₹13812300.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹186471.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹13998771.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹6988971.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार खाद्य सब्सिडी को वापस लिए जाने के कारण हुई।

grains transactions under NFSA" - the original provision of ₹13812300.00 lakhs was augmented to ₹13998771.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹186471.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6988971.00 lakhs (including supplementary grant) - due to withdrawal of food subsidy as directed by Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य सब्सिडी" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies" - remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) "सत्र 2017–18 के लिए चीनी मिलों को सहायता के लिए स्कीम" – ₹40000.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं जो, तथापि ₹2357.14 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं; और

(A) "Schemes for Assistance to Sugar Mills for 2017-18 season" - funds of ₹40000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹2357.14 lakhs; and

(खा) "चीनी के बफर स्टॉक के सृजन एवं रखरखाव के लिए स्कीम" – ₹45000.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं जो, तथापि ₹24976.63 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) "Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar" - funds of ₹45000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹24976.63 lakhs.

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत चीनी मिलों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from sugar mills.

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "2408" - "Food" - savings occurred under the followings heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – पीडीएस परिचालन का सुदृढ़ीकरण" – ₹2193.93 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मॉनीटरिंग एजेंसियों द्वारा व्यय विवरण को प्रस्तुत न किए जाने, राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Strengthening of PDS Operation" - saving of ₹2193.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-submission of expenditure statement by monitoring agencies, receipt of less proposals from State Governments and non-conduction of training programmes.

(खा) "अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति – इंटरस्टेट मूवमेंट पर बैठक व्यय के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता, एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों एवं एफपीएस डीलरों के लाभ की देखरेख" – ₹11606.00 लाख की बचत

(B) "Procurement and Supply - Central Assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - saving of ₹11606.00

(₹400000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अपूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति होने, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के लंबित होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹400000.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals, pending utilisation certificates from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "अन्य व्यय – चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु स्कीम, 2014" – ₹6625.87 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुपयोज्य आस्तियां में वृद्धि होने एवं खातों के बंद होने की वजह से स्टेट बैंक आफ इंडिया, मुम्बई से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(C) "Other Expenditure - Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2014" - saving of ₹6625.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to less demand from State Bank of India, Mumbai on account of increase in non-performing assets and closure of accounts.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹9138.30 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1383.41 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹9138.30 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1383.41 lakhs under Major Head "2408" - "Food" - under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन" – ₹1499.80 लाख।

(A) "Direction and Administration - Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS)" - ₹1499.80 lakhs.

(खा) "खाद्य सब्सिडी – एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति पर राज्य सरकार को सब्सिडी" – ₹2948.50 लाख।

(B) "Food Subsidies - Subsidy to State Governments on decentralized procurement of foodgrains under NFSA" - ₹2948.50 lakhs.

(गा) "सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कॉरपोरेशन लि." – ₹4090.00 लाख।

(C) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Vegetable Oil Corporation Ltd. (HVOC)" - ₹4090.00 lakhs.

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पीडीएस परिचालन का सुदृढ़ीकरण" – ₹600.00 लाख।

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Strengthening of PDS Operation" - ₹600.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2408" – "भण्डारण और भांडागृह – अन्य व्यय – राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹2330.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2408" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in NE Region by State Governments" - excess of ₹2330.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head

पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

“2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹760.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में शून्य प्रावधान की तुलना में, प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम था।

(III) Under two heads excess of ₹760.00 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs against nil provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹3857090.28 लाख) दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹100003.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 75 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹3857090.28 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹100003.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019 and constituted 75 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “4408”	Major Head “4408”				
खाद्य भंडारण और भांडागार	Capital Outlay on Food				
पर पूंजीगत परिव्यय	Storage and Warehousing				
मू.	O.	410.00			
पू.	S.	100001.00	56860.00	56828.06	-31.94
पु.	R.	-43551.00			
मुख्य शीर्ष “4552”	Major Head “4552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों	Capital Outlay on North				
पर पूंजीगत परिव्यय	Eastern Areas				
मू.	O.	3500.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-3500.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6408" भंडारण एवं भांडागार के लिए कर्ज	Major Head "6408" Loans for Food Storage and Warehousing					
मू.	O.	5000000.00		1200000.00	1200000.00	..
पु.	R.	-3800000.00				
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries					
मू.	O.	38500.00				
पू.	S.	1.00		28495.66	28494.66	-1.00
पु.	R.	-10005.34				

(I) ₹3501.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "4552" – "भंडारण और भांडागार – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" – के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3501.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India"- due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4408" – "खाद्य – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत – ₹100000.00 की निधियां प्राप्त किए गए पूरक अनुदान से उपलब्ध कराईं गईं जो, तथापि, ₹50000.00 लाख की सीमा तक – भारतीय खाद्य निगम की प्राधिकृत पूंजीगत सीमा को बढ़ाने के लिए अनुमोदन लंबित होने के कारण अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under Major Head "4408" - "Food - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - funds of ₹100000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹50000.00 lakhs - due to pending approval for enhancing authorized capital limit of Food Corporation of India.

(III) मुख्य शीर्ष "6408" – "खाद्य – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को ऋण के अंतर्गत – भारतीय खाद्य निगम

(III) Under Major Head "6408" - "Food - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Ways and

को अर्थोपाय अग्रिम भुगतान" – ₹3800000.00 लाख की बचत (₹5000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "6860" – "चीनी – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "चीनी मिलों का पुनर्वास/आधुनिकीकरण" – ₹4987.21 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के जाने के कारण हुई।

(खा) "गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें" – ₹2205.34 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत कम आवेदन प्राप्त होने की वजह से हुई।

(गा) "बगास आधारित सह–उत्पादन बिजली परियोजना के लिए चीनी फैक्ट्रियां" – ₹5000.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों से प्रस्तावों के प्रशासनिक अनुमोदन विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8487.21 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) मुख्य शीर्ष "4408" – "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" – ₹6300.00 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष "6860" – "चीनी – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – एल्कोहल से एथेनॉल अथवा एनहाइड्रस एल्कोहल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियां" – ₹2187.21 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2186.21 लाख था।

Means Advance payable to FCI" - saving of ₹3800000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000000.00 lakhs) was due to non-approval by Ministry of Finance for release of funds.

(IV) Under Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills" - saving of ₹4987.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Sugar Mills for Cane Development" - saving of ₹2205.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less application under the scheme.

(C) "Sugar factories for bagasse based cogeneration power project" - saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to delay in receipt of administrative approval for proposals from Sugar Mills.

4. The above savings were partly (₹8487.21 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "4408" - "Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - ₹6300.00 lakhs.

(II) Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol" - ₹2187.21 lakhs. Actual excess, however, was ₹2186.21 lakhs.